न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 29 सन 2019
अनवान :–

1. भीमसेन पुत्र श्योरकरण जाति जाट साकिन सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956
उपस्थित :– मांगीलाल देहडु अधिवक्ता प्रार्थी
निर्णय दिनांक :– 27/01/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 9/9 के खसरा न0 16/4 की 1.6690हैक , खसरा न0 19 /4.0470हैक खसरा न0 775 की 9.4970हैक खसरा न0 788 की 14.2900हैक खसरा न0 859 की 0.2280हैक कुल 29. 7310हैक एवं खाता संख्या 622/441 के खसरा न0 48/2 की 4.5400हैक , खसरा न0 636 /1034 की 4.3000हैक एवं खाता संख्या 60/65 के खसरा न0 908/2 की 2.2380हैक भूमि जिसमें प्रार्थी का नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 60/56 के खसरा न0 908/2 की 2.2380हैक भूमि में प्राथ्री का नाम भीमराज दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तवीक नाम भीमसैन है इसलिये प्रार्थी अपना नाम भीमराज के स्थान पर भीमसैन पुत्र श्योकरण दर्ज करवाने का अधिकारी है।

रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 9/9 में प्रार्थी का मुश्तरका खाते में सही तौर से भीमसैन नाम दर्ज है प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, आम आदमी का आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड बैक पास बुक में प्रार्थी का नाम भीमसैन दर्ज है राजस्व रिकार्ड में नाम गलत रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 60/56 में प्रार्थी का नाम भीमराज दर्ज है के स्थान पर भीमसैन पुत्र श्योकरण दर्ज करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की और से तहसीलदार नोहर पेरोकार राज उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बध में जबाब पेश किया की प्रार्थी का नाम सही तौर से राजस्व रिकार्ड दर्ज है साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थी का नाम राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए संशोधन करते है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 9/9 के खसरा न0 16/4 की 1.6690हैक , खसरा न0 19 /4.0470हैक खसरा न0 775 की 9.4970हैक खसरा न0 788 की 14.2900हैक खसरा न0 859 की 0.2280हैक कुल 29.7310हैक एवं खाता संख्या 622/441 के खसरा न0 48/2 की 4.5400हैक , खसरा न0 636 /1034 की 4.3000हैक एवं खाता संख्या 60/65 के खसरा न0 908/2 की 2.2380हैक भूमि जिसमें प्रार्थी का नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 60/56 के खसरा न0 908/2 की 2.2380हैक भूमि में प्राथ्री का नाम भीमराज दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्त्तवीक नाम भीमसैन है इसलिये प्रार्थी अपना नाम भीमराज के स्थान पर भीमसैन पुत्र श्योकरण दर्ज करवाने का अधिकारी है।

रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 9/9 में प्रार्थी का मुश्तरका खाते में सही तौर से भीमसैन नाम दर्ज है प्रार्थी का अन्य दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, आम आदमी का आधार

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड बैक पास बुक में प्रार्थी का नाम भीमसैन दर्ज है राजस्व रिकार्ड में नाम गलत रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 60/56 में प्रार्थी का नाम भीमराज दर्ज है के स्थान पर भीमसैन पुत्र श्योकरण दर्ज करने के आदेश फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 60/56 के खसरा न0 908/2 की 2.2380हैक्ट भूमि में प्रार्थी का नाम भीमराज दर्ज है एवं इसी ग्राम रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 9/9 में प्रार्थी का नाम सही तौर से भीमसैन दर्ज है अर्थात सही नाम दर्ज है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात परिवार राशन कार्ड, आम आदमी का आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, भामाशाह कार्ड बैक पास बुक में प्रार्थी का नाम भीमसैन दर्ज है एवं सरपंच ग्राम पंचायत सोनडी के अनुसार भी भीमसेन एवं भीमराज एक ही आदमी है एवं सही नाम भीमसैन है।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एवं संरपच ग्राम पंचायत सोनडी के प्रमाण पत्र एवं रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 9/9 के अनुसार प्रार्थी का नाम सही भीमसैन पुत्र श्योकरण होना प्रतीत होता है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नही होता है बल्की राजस्व रिकार्ड ही आदिनांक होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 60/56 के खसरा न0 908/2 की 2.2380है में दर्ज प्रार्थी का नाम भीमराज पुत्र श्योकरण के स्थान पर भीमसैन पुत्र श्योकरण संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27/1/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)